संख्या-345/2026/I/1515730/2026/23-11099(099)/88/2024

प्रेषक,

अभय प्रताप श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 **लखनऊ : दिनांक 05-11-2026**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य राजमार्गो के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण के चालू कार्यो पर धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-25370/CE-HQ1/RY(SH)/SAH/2026-27 दिनांक 02-11-2026, पत्र संख्या-25418/CE-HQ1/RY(SH)/BAR/2026-27 दिनांक 04-11-2026, पत्र संख्या-25432/CE-HQ1/RY(SH)/SAH/2026-27 दिनांक 04-11-2026, पत्र संख्या-25463/CE-HQ1/RY(SH)/GON/2026-27 दिनांक 04-11-2026, पत्र संख्या-25464/CE-HQ1/RY(SH)/LKO/2026-27 दिनांक 04-11-2026 एवं पत्र संख्या-25467/CE-HQ1/RY(SH)/MIR/2026-27 दिनांक 04-11-2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य राजमार्गो के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण के अधोलिखित 07 चालू कार्यो पर वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल रू0 9626.05 लाख (रूपये छियानबे करोड़ छब्बीस लाख पॉच हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण/शर्तो सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत/ प्रावैधिक/अनुरक्षण/अनुरक्षण उपरान्त की लागत/ बचत/बचत उपरान्त की लागत	अब तक आवंटन	अवमुक्त धनराशि		
					अनु0 सं0-58	अनु0 सं0-83	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सहारनपुर नि0ख0	जनपद सहारनपुर में दौलतपुर-नानौता-मंगलौर मार्ग (रा0मा0 सं0-167) के चैनेज 29.793 से 72.793 तक (उत्तरा खण्ड की सीमा तक) दो लेन विद् पेव्ड शोल्डर में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य (लम्बाई 40.420 कि0मी0)।	12830.04 12830.04 285.43 12544.61 2277.83 10266.78	6840.51	1181.85	318.15	1500.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2	बदायूँ नि0ख0-2	जनपद बदायूँ में बिल्सी इस्माइलनगर मार्ग (राज्य मार्ग-51) के चैनेज 0.000 से 35.000 (लम्बाई 35.000 कि0मी0) तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	8971.78 8951.70 Nil 8951.70 317.90 8633.80	3294.36	1575.80	424.20	2000.00
3	मुजफ्फर नगर नि0ख0-1	जनपद मुजफ्फरनगर में पानीपत खटीमा मार्ग (राज्य मार्ग सं0-12) का 04 लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य (लम्बाई 0.55 कि0मी0)	349.43 349.43 Nil 349.43 35.14 314.29	223.11	47.08	12.67	59.75
4	गोण्डा नि0ख0-2	जनपद गोण्डा में बहराईच हुजूरपुर करनैलगंज नवाबगंज (राज्य मार्ग सं0-155) के (चैनेज 62.350 से 105.920) (लम्बाई 43.60 कि0मी0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	15157.32 15157.32 Nil 15157.32 8.48 15148.84	10105.06	945.48	254.52	1200.00
5	खीरी नि0ख0-3	जनपद लखीमपुर खीरी में सीतापुर-गोला-अलीगंज-बिजुआ मार्ग (रा0मा0 संख्या-135) के चैनेज 80.850 से 96.200 तक (लम्बाई 15.650 कि0मी0) चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	4665.62 4665.62 108.29 4557.33 1320.56 3236.77	2735.96	131.03	35.27	166.30
6	खीरी नि0ख0-3	जनपद लखीमपुर खीरी में सिसैया-धौरहरा-निघासन-पलिया-धनौराघाट-पुरनपुर मार्ग (राज्य मार्ग सं0-101) के कि0मी0 45 से 83.500 (लम्बाई 38.350 कि0मी0) तक पेव्ड शोल्डर के साथ चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	14771.93 14748.61 333.03 14415.58 Nil 14415.58	4365.79	2757.65	742.35	3500.00
7	मीरजापुर प्रा0ख0	जनपद मीरजापुर में लुम्बिनी दुद्धी मार्ग (एस0एच0-5) के चैनेज 314.850 से 337.00 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य (लम्बाई 22.150 कि0मी0)।	5784.48 5784.48 Nil 5784.48 28.61 5755.87	2837.21	945.48	254.52	1200.00
		योग:-			**7584.37**	**2041.68**	**9626.05**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों</u>

(1) प्रश्नगत चालू कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यो के सपंरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपरोक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश की समस्त शर्तो एवं प्रतिबन्ध का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) उक्त कार्य केवल अनुमोदित/पुनरीक्षित सीमा तथा प्रचलित वित्तीय नियमों के अनुसार ही सम्पन्न किया जाय। उपयोगिता प्रमाण-पत्र ससमय प्रस्तुत करने की पूरी जिम्मेदारी कार्यान्वयन इकाई की होगी।

(5) लोक निर्माण विभाग में सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी0सी0एल0 प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28-03-2026 में निर्धारित प्रक्रिया एवं निहित शर्तो का अक्षरशः अनुपालपन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रू0 75,84,37,000 (रू0 पचहत्तर करोड़ चौरासी लाख सैतीस हजार मात्र) को चालू वितीय वर्ष 20262027 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 5054033370303 राज्य राज मार्गो के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण के चालू कार्यो हेतु व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रू0 20,41,68,000 (रूपये बीस करोड़ इकतालिस लाख अड़सठ हजार मात्र) को चालू वितीय वर्ष 20262027 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054037890300 राज्य मार्गो के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के कार्यो हेतु मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28-03-2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी,उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
10- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
12- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
13- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
14- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
15- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।